

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 97/2022 अपील सू.प्र.

उनवान

श्रीमती विमला परसोया पत्नी छगन बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं लाल निवासी-2 एफ 16, नया तहसीलदार, हुरड़ा जिला भीलवाड़ा हाउसिंग बोर्ड, भीलवाड़ा

—अपीलार्थिया

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :-प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

निर्णय

दिनांक :14.12.2022




अपीलार्थिया की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, हुरड़ा जिला भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 10.11.2022 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थिया ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/- रुपये का पोस्टल ऑर्डर संख्या 54 एफ 905943 के साथ एक आवेदन दिनांक 30.09.2022 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, हुरड़ा को प्रेषित किया गया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 14.11.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, हुरड़ा द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, हुरड़ा जिला भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर निर्णय दिनांक से 15 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध कराते हुए पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 14.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।



(आशीष मोदी)

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा